10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(147)

(1)

नि/निगरानी/मंडला/भू-रा/2017/1807

समक्ष, न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

3 JUN 2017
कार्यालय कलेक्टर मण्डला (म.प्र.)
शाखा का नाम ......
अधीक्षक के हस्ताक्षर......
3/6/17
कलेक्टर/अपर कलेक्टर/प्राधि.अधिकार
दिनांक......

पुनरीक्षण क्रमांक

1. जगन्नाथ पिता स्व. बलीराम

2. जगदीश पिता स्व.बलीराम

3.श्रीप्रसाद पिता स्व बलीराम

4.सुखमन पिता स्व.बलीराम

निवासी मक्के तह.नैनपुर जिला मंडला आवेदकगण/प्रत्यार्थीगण

डाक द्वारा 19-6-17

विरूद्व

महा प्रसाद पिता स्व. बलीराम

निवासी मक्के तह.नैनपुर जिला मंडला म.प्र. अनावेदक/अपीलार्थी

पुनरीक्षण याचिकाः— म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत

आवेदकगण/प्रत्यार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर जिला मंडला के द्वारा रा.अ.क्रं. 43/अ—27/2015—2016 महा प्रसाद वि. फुलवा एवं अन्य 4 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22—03—2017 से व्यथित हो कर मान. न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार याचिका दायर कर रहें हैः—

पुनरीक्षण के तत्थ :—

यह कि महा प्रसाद पिता स्व.बलीराम के द्वारा ग्राम मक्के तह.नैनपुर जिला मंडला में स्थित कृषि भूमि जोकि आवेदक महा प्रसाद काका फुलवा तथा जगन्नाथ पिता स्व. बलीराम,जगदीश पिता स्व.बलीराम श्रीप्रसाद पिता स्व बलीराम,सुखमन पिता स्व.बलीराम के नाम पर संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है। के बटबारा हेतु म.प्र. भू राजस्व संहि 1959 की धारा 178 का प्रकरण तहसीलदार नैनपुर के समक्ष इस अधार पर प्रस्तुत किया गया कि हमारा आपस में आवेदक एवं अनावेदकगणों के बीच भूमि का आपसी बटबारा हो चुका है। एवं अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर कास्त की जा रही है। भूमि का बराबर बराबर बटबारा किया जा कर त्रण पुस्तित प्रदान करने की कृपा करे।

2. यह कि तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष बटबार प्रकरण क्रमांक 110 अ—27 2012—2013 में पुनरीक्षणकर्तागणों को अनावेदक बनाया गया था।

3. यह कि तहसीलदार के आदेशानुसार मौके पर भूमि का सभी पक्षकारों की सहमति से फर्द बटबारा नक्शा, एवं पंचनामा दिनांक 16'12—2013 को पटवारी के द्वारा बनाया गया। मौके पर महा प्रसाद तथा काका फुलवा तथा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/मंडला/भू.रा./2017/1807

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला मंडला के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला मंडला**	